राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी : अमीलाल यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 7/2026

लिच्छु राम पुत्र हजारी राम जाति जाट निवासी ग्राम कांधलसर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान,

.... वादी

वनाम

1. राजस्थान सरकार जरीये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, बीदासर जिला चूरू
2. गोपालराम पुत्र प्रमाराम जाति जाट निवासी कान्धलसर तहसील बीदासर जिला चूरू
3. जेठाराम पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी कान्धलसर तहसील बीदासर जिला चूरू
4. धूड़ाराम पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी कान्धलसर तहसील बीदासर जिला चूरू
5. फूलाराम पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी कान्धलसर तहसील बीदासर जिला चूरू
6. भंवरलाल पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी कान्धलसर तहसील बीदासर जिला चूरू
7. मूणाराम पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी कान्धलसर तहसील बीदासर जिला चूरू
8. शिवलाल पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी कान्धलसर तहसील बीदासर जिला चूरू
9. सुगना पत्नी प्रमाराम जाति जाट निवासी कान्धलसर तहसील बीदासर जिला चूरू
10. हंसाराम पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी कान्धलसर तहसील बीदासर जिला चूरू
11. हिमताराम पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी कान्धलसर तहसील बीदासर जिला चूरू
12. श्रीमान् शाखा प्रबंधक महोदय, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा लालगढ़
13. श्रीमान् शाखा प्रबंधक महोदय, भारतीय स्टेट बैंक शाखा कातर छोटी

.... प्रतिवादीगण

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत रिकॉर्ड दुरुस्ति

उपस्थित :– 1. पैरोकार राज

–: निर्णय :–

दिनांक 16-2-26

प्रस्तुत वाद–पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की ओर से एक वाद–पत्र इस आशय का पेश किया है कि खाता संख्या 165 नया व पुराना 145 खसरा नम्बर 212 तादादी 10.8759 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 212/455 तादादी 0.4426 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 323 तादादी 9.0422 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 324 तादादी 6.6773 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 412 तादादी 6.5508 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 414 तादादी 3.2754 हेक्टेयर कुल 06 खसरान कुलतादादी 36.8642 हेक्टेयर रोही ग्राम कांधलसर पटवार हल्का अगरसर भू. अभि. नि. कातर छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जिसके खातेदारी रिकॉर्ड में वादी का नाम लिच्छू राम के स्थान पर लच्छाराम और वादी के पिता का नाम हजारी राम के स्थान पर लादूराम है जो गलत अंकित हो रखा है। लादूराम वादी के जन्म से पिता है जबकि वादी को हजारी राम ने मौखिक रूप से लादूराम से गोद ले लिया था इस कारण वादी के समस्त दस्तावेजों

का नाम हजारी राम अंकित है। वादी के समस्त दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, राषन कार्ड आदि में वादी का लिच्छु राम व पिता का नाम हजारी राम ही अंकित है। राजस्व रेकॉर्ड में वादगत खेत की खातेदारी में वादी का व वादी के पिता का नाम व जाति गलत अंकित रहने से सरकारी लाभांश आदि, राजकीय अनुदान/लाभ प्राप्त करने वास्ते, खेत पर कृशि ऋण आवेदन करने पर समस्त प्रकार की कार्यवाहियां नेट से कनेक्ट होने के कारण दस्तावेजों से मिलान नहीं होने के कारण मैं राजकीय अनुदान प्राप्त करने से वंचित रह रहा है। प्रस्तुत वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान् के न्यायालय को प्राप्त है। उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन किया की वादी का वाद–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर रोही कांधलसर के खसरा नम्बर 212, 212/455, 323, 324, 412, 414 के राजस्व रिकॉर्ड में जमाबंदी में नाम लच्छाराम पुत्र लादूराम के स्थान पर लिच्छुराम पुत्र हजारी राम करवाने के आदेश अता फरमावें। आदि–आदि अंकित कर वाद–पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वाद–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 11 की ओर से श्री आमीन शेख एडवोकेट ने अपना वकालतनामा व इकबाल जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 12 व 13 को विधिवत सूचना भिजवाई जाने के उपरांत भी अनुपस्थित रहने पर इनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से पैरोकार सरकार तहसीलदार उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किया कि वादी नाम शुद्ध करवाये तो हमें आपत्ति नहीं है।

पत्रावली में वर्णित तथ्य व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा अपने सही नाम हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादगत भूमि वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 11 के नाम से खातेदारी में दर्ज है। प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 11 द्वारा दावे में प्रस्तुत अपने इकबाल जवाब दावा में दावे के तथ्यों का समर्थन किया है। अतः प्रस्तुत दस्तावेजात और प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 11 के इकबाल जवाब दावा के आधार पर नाम में शुद्धि किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 212 तादादी 10.8759 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 212/455 तादादी 0.4426 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 323 तादादी 9.0422 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 324 तादादी 6.6773 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 412 तादादी 6.5508 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 414 तादादी 3.2754 हेक्टेयर कुल 06 खसरान कुल तादादी 36.8642 हेक्टेयर रोही ग्राम कांधलसर पटवार हल्का अमरसर भू. अभि. नि. कातर छोटी तहसील बीदासर जिला चूरू के खातेदारी रिकॉर्ड में लच्छाराम पुत्र लादूराम के स्थान पर लिच्छुराम पुत्र हजारी राम अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जाते।

निर्णय आज दिनांक 16/2/26 को रारे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)
बीदासर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला–चूरू
सत्यमेव जयते